रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 346] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 1, 2014/अग्रहायण 10, 1936
No. 346] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 1, 2014/AGRAHAYANA 10, 1936

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 नवम्बर, 2014

सं. मि. 51–1/2014 (राअषिप (मा तथा मानक).–राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) के खण्ड 32 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2009 का प्रतिस्थापन करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एतद्द्वारा निम्न विनियम अधिसूचित करती है:–

(1) लघु शीर्ष और प्रवर्तनः–(1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2014 कहलाएंगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं:–इन विनियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) 'अधिनियम' का आशय राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) से है।

(ख) 'संयुक्त संस्थान' का आषय विधिवत रूप से मान्यता प्राप्त ऐसे उच्च शिक्षा संस्थान से है जो अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की मान्यता के लिए आवेदन करते समय स्थिति अनुसार उदार कलाओं अथवा मानविकियो अथवा सामाजिक विज्ञानों अथवा विज्ञानों अथवा वाणिज्य अथवा गणित के क्षेत्र में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

(ग) 'समापन' का आशय अथवा ऐसा संस्थान जो एक से ज्यादा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों का संचालन करना रहा है। संस्थान द्वारा प्रस्तुत औपचारिक आवेदन पत्र के आधार पर परिषद द्वारा जिस संस्थान को मान्यता दी गई है अथवा कार्यक्रम की अनुमति दी गई है उसे निरस्त करना अथवा बन्द करना।

(घ) यहां प्रदत्त तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) में परिभाषित अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो कि उपर्युक्त अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

3. प्रयोज्यता

ये विनियम संस्थानों की मान्यता के लिए मानदंड और मानक तथा क्रियाविधियां तैयार करने, नए कार्यक्रम शुरू करने, वर्तमान संस्थानों में मौजूदा कार्यक्रम के अतिरिक्त नया कार्यक्रम आरम्भ करने एवं मौजूदा कार्यक्रम में स्वीकृत प्रवेश क्षमता में वृद्धि के लिए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों से संबंधित सभी विषयों पर लागू होंगे, यथा

(क) नए अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों की शुरूआत के लिए जिनकी संयुक्त संस्थानों द्वारा मान्यता हेतु संचालन किया जायेगा

(ख) परिषद द्वारा विधिवत रूप से मान्यता प्रदत्त मौजूदा अध्यापक शिक्षा संस्थानों में नए कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति

(ग) परिषद द्व ारा विधिवत रूप से मान्यता प्रदत्त मौजूदा अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों में अतिरिक्त प्रवेश क्षमता के लिए अनुमति

9. मानदंड तथा मानकः नीचे तालिका में दर्शाए गए कार्यक्रमों का संचालन करने वाले प्रत्येक संस्थान को विभिन्न अध्यापक शिक्षा कार्यक्रमों के लिए परिशिष्ट 1 से परिशिष्ट 15 में यथानिर्दिष्ट मानदंडों और मानकों का पालन करना होगाः

क्र.स.	मानदण्ड और मानक	परिशिष्ट संख्या
1.	स्कूल पूर्व शिक्षा में डिप्लोमा (डीपीएसई) प्राप्त कराने वाला प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम	परिशिष्ट–1
2.	प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाला प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम	परिशिष्ट–2
3.	प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक (बी.एल.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाला प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में स्नातक कार्यक्रम	परिशिष्ट–3
4.	शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाला प्रारंभिक शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम	परिशिष्ट–4
5.	शिक्षा में मास्टर (एम.एड) डिग्री प्राप्त कराने वाला शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम	परिशिष्ट–5
6.	शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.पी.एड.) प्राप्त कराने वाला शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम	परिशिष्ट–6
7.	शारीरिक शिक्षा में स्नातक (बी.पी.एड) डिग्री प्राप्त कराने वाला शारीरिक शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम	परिशिष्ट–7
8.	शारीरिक शिक्षा में मास्टर (एम.पी.एड) डिग्री प्राप्त कराने वाला शारीरिक शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम	परिशिष्ट–8
9.	प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (डी.एल.एड.) प्राप्त कराने वाला मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा कार्यक्रम	परिशिष्ट–9
10.	शिक्षा में स्नातक (बी.एड) डिग्री प्राप्त कराने वाला शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम	परिशिष्ट–10
11.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य कला) प्राप्त कराने वाला कला शिक्षा में डिप्लोमा (दृश्य कलाएं) कार्यक्रम	परिशिष्ट–11
12.	कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन कलाएं) प्राप्त कराने वाला कला शिक्षा में डिप्लोमा (निष्पादन कलाएं)	परिशिष्ट–12
13.	बी.ए. बी.एड/बी.एससी बी.एड. प्राप्त कराने वाला 4 वर्षीय समाकलित कार्यक्रम	परिशिष्ट–13
14.	शिक्षा में स्नातक (बी.एड.) डिग्री प्राप्त कराने वाला शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम (अंशकालिक)	परिशिष्ट–14
15.	बी.एड. एम.एड. (समाकलित डिग्री) प्राप्त कराने वाला बी.एड. एम.एड. (3 वर्षीय समाकलित) कार्यक्रम	परिशिष्ट–15

10. वित्तीय प्रबंधन

स्ववित्तपोषी आधार पर कार्यक्रम चलाने वाले सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों सहित स्ववित्तपोषी संस्थानों के मामले में, जहां विनियम 7 के उपविनियम 13 के अधीन आशय पत्र जारी किया गया है, किसी अनुसूचित बैंक में सावधि जमा के रूप में प्रति कार्यक्रम प्रति यूनिट के लिए पांच लाख रुपये की स्थायी निधि तथा प्रति कार्यक्रम अनुमोदित दाखिले के प्रति यूनिट के लिए सात लाख रुपये की आरक्षित निधि होगी जिसे प्रबंधक वर्ग के अधिकृत प्रतिनिधि तथा संबंधित क्षेत्रीय निदेशक के संयुक्त नाम से एक सावधि जमा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा जिसे प्रत्येक पांच वर्षों के अन्तराल पर नवीकरण द्वारा सतत आधार पर बनाए रखा जाएगा।

(2) संस्थान के शैक्षणिक तथा अन्य स्टाफ को संबंधित सरकार अथवा बोर्ड अथवा संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथानिर्धारित वेतन का भुगतान आदाता को चैक द्वारा अथवा बैंक में इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से खोले गए बैंक खाते में सूचना के अनुसार किया जाएगा। संस्थान कर्मचारियों को वेतन के भुगतान, कर्मचारी भविष्य निधि का पूरा रिकार्ड रखेगा जिसके विवरण स्वमूल्यांकन रिपोर्ट में दिए जा सकते हैं और जिनका परिषद अथवा राज्य सरकार अथवा संबंधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा कभी भी सत्यापन किया जा सकता है।

(3) प्रत्येक संस्थान अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 30 सितम्बर तक तथा सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित लेखाओं के निम्न विवरण प्रदर्शित करेगाः–

(i) वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(ii) वित्तीय वर्ष का आय और व्यय लेखा

(ख) साझी सुविधाएं

जहां अध्यापक शिक्षा बहुत से संकायों और अध्ययन विभागों वाले विश्वविद्यालय/संस्थान के एक अभिन्न अंग के रूप में किसी विभाग/कॉलेज के द्वारा प्रदान की जाती है, वहां सभी केन्द्रीय सुविधाओं का उपयोग प्रारम्भिक शिक्षा विभाग और अन्य विभागों द्वारा आपस में सांझा किया जाएगा। प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं के मामले में, आवश्यक अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी, ताकि बीईएलएड के विद्यार्थी उनका उपयोग कर सकें। विश्वविद्यालय/कॉलेज के केन्द्रीय पुस्तकालय के अलावा, बीईएलएड विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विभागीय पुस्तकालय का विकास भी किया जाएगा। संसाधन प्रयोगशाला को शिक्षाशास्त्र–आधारित प्रयोगात्मक कार्य और अन्य स्कूल संपर्क कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित अन्य उपस्कर के साथ–साथ पर्याप्त पठन सामग्री से भी सज्जित किया जाना चाहिए श्रोताकक्ष, सम्मेलन कक्ष, आदि जैसी सुविधाओं का उपयोग अन्य विभागों के साथ बांट कर किया जा सकता है।

6.2 शैक्षणिक सुविधाएं

(क) पाठ्यचर्या प्रयोगशाला हाथ में आए कार्य को निपटाने पाला प्रयोगशाला क्षेत्र होगा। प्रयोगशाला शिल्प, कोर (मूल) गणित, भाषा, कोर विज्ञान, समाज विज्ञान और शिक्षाशास्त्र के पाठ्यक्रमों और सामग्री विकास जैसे सिद्धांत और प्रायोगिकात्मक कार्य के पाठ्यक्रमों के इस प्रयोजन को पूरा करेगी। प्रयोगशाला में भाषाओं, विज्ञान, समाज विज्ञान और गणित से संबंधित सामग्री होगी, जैसे उपकरण, रसायन, किट, नक्शे, ग्लोब, और हथौड़े, चिमटे, कैंची, और तार जैसे औजार एवं उपकरण होंगे। लधु समूह क्रियाकलापों के लिए प्रयोगशाला में कार्य करने के मेज होने चाहिए। फर्नीचर ऐसा होना चाहिए, जिसे एक जगह से खींच कर दूसरी जगह पर किया जा सके, ताकि फर्श पर काम करने की गुंजाइश हो सके। प्रयोगशाला में कक्षाएं आयोजित करने के लिए ओवरहोड प्रोजेक्टर, नोटिस बोर्डों और ब्लैकबोर्ड का इस्तेमाल करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

(ख) संसाधन केन्द्र प्रयोगशाला विभागीय पुस्तकालय के प्रयोजन को पूरा करेगा। इसमें एक स्टोर होना चाहिए और पुस्तकों, पाठ्यचर्या सामग्रियों, बाल साहित्य, पाठपुस्ताके, रिपोर्टों और दस्तावेजों, श्रव्य–दृश्य उपस्कर, एलसीडी प्रोजेक्टर, डीवीडी प्लेअर, कैमरा, शिक्षा संबंधी फिल्मों, आदि तक पहुंच होनी चाहिए। सामाग्रियां पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थी स्कूलों में भी उनका इस्तेमाल कर सकें। संसाधन केन्द्र में संकाय और विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए कम्प्यूटर सुविधा भी होनी चाहिए केन्द्र में विद्यार्थियों की सभाओं, कक्षाओं, समूह चर्चाओं के लिए और पढ़ने के भी लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए।

(ग) किसी प्रदत्त कॉलेज/संयुक्त संस्था में विज्ञान प्रयोगशाला बीईएलएड की संकाय और उसके विद्यार्थियों के लिए भी उपलब्ध होगी और इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त स्थान और पर्याप्त संख्या में प्रयोगशाला सामग्रियों, उपस्कर, श्रव्य–दृश्य संसाधनों और कम्प्यूटरों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(घ) कार्यशाला स्थान में रंगमंच कार्यशाला, आत्म–विकास कार्यशाला, शिल्प, संगीत और व्यायाम शिक्षा कार्यशालस (योग शिक्षा सहित) जैसे विशिष्ट प्रयोगात्मक क्रियाकलापों के संचालन के लिए दो अलग स्थानों की व्यवस्था होगी। इन स्थानों पर 25–30 विद्यार्थियों के समूह के लिए खुले रूप से आने जाने की गुंजाइश होनी चाहिए।

6.3 अन्य सुविधाएं

(क) अनुदेशात्मक प्रयोजनों और अन्य प्रयोजनों के लिए अपेक्षित संख्या में कार्यातमक और उपयुक्त फर्नीचर।

(ख) वाहनों को पार्क करने के लिए प्रबन्ध किए जाएं।

(ग) संस्था में सुरक्षित पेय जल की प्राप्ति।

(घ) परिसर की नियमित रूप से सफाई करने के कारगर प्रबन्ध, जल और शौचालय सुविधाएं (पुरूषों, महिलाओं और पी डब्ल्यू डी के लिए अलग–अलग शौचालय), फर्नीचर और अन्य उपस्करों की मरम्मत और उनका प्रतिस्थापन।

(**टिप्पणी :** संयुक्त संस्थान के मामले में, उवसंरचनात्मक, अनुदेशात्मक और अन्य सुविधाओं का उपयोग विभिन्न कार्यक्रमों के लिए मिल–बांट कर किया जाएगा।)

7. प्रबंधन समिति

संस्थान में संबद्धक विश्वविद्यालय/संबंधित राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार गठित की गई एक प्रबन्ध समिति होगी। ऐसे मानदंडों के न होने पर, संस्था समिति का गठन स्वयं करेगी। समिति में संस्था को प्रायोजित करने वाली सोसाइटी/न्यास/कम्पनी के प्रतिनिधि, शिक्षाविद्और अध्यापक–शिक्षक, संबद्धक विश्वविद्यालय और संकाय के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

परिशिष्ट–4

शिक्षा में स्नातक डिग्री (बी.एड.) प्राप्त कराने वाले शिक्षा में स्नातक कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना :

शिक्षा स्नातक कार्यक्रम जिसे सामान्यतः बी.एड. कार्यक्रम कहा जाता है एक संवृत्तिक पाठयक्रम है जो उच्च प्राथमिक अथवा मिडिल स्कूल (कक्षा vi-viii), माध्यमिक स्तर (कक्षा ix-x), एवं उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा xi-xii), के लिए अध्यापक तैयार करता है।

2. अवधि तथा कार्य दिवस

2.1 **अवधि :**

बी.एड. कार्यक्रम दो शैक्षणिक वर्ष की अवधि का होगा, तथापि कोई अभ्यर्थी इस कार्यक्रम में प्रवेश से लेकर अधिकतम तीन वर्ष तक पूर्ण कर सकता है।

2.2 **कार्यदिवस**

(क) प्रत्येक वर्ष कम से कम दो सौ (200) कार्य दिवस होंगे। इसमें प्रवेश तथा परीक्षाओं की अवधि सम्मिलित नही है।

(ख) कार्यक्रम चलाने वाली संस्थाए प्रति सप्ताह कम से कम 36 घंटे (पांच या छः दिन) कार्य करेंगी जिस दौरान सभी अध्यापक तथा छात्र–अध्यापक को वास्तविक रूप से उपस्थित रहनाअनिवार्य होगा, ताकि आवश्यकतानुसार सलाह, निर्देशन तथा संवाद सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) सभी पाठ्यचर्यात्मक कार्य तथा प्रायोगिक कार्य के लिए छात्र–अध्यापकों के लिए न्यूनतम उपस्थिति 80% होगी तथा स्कूलबद्ध प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम उपस्थिति की सीमा 90% होगी।

3. दाखिला/क्षमता पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया, तथा शुल्क

3.1 दखिला क्षमता

छात्रों की एक मूल इकाई में 50 विद्यार्थी होंगे तथा किसी संस्था में अधिकतम दो इकाइयों को प्रवेश दिया जा सकता है। एक विद्यालयी विषय और कार्यक्रम के अन्य प्रायोगिक क्रियाकलाप के लिए प्रति अध्यापक 25 से अधिक विद्यार्थी नही होंगे ताकि सहभागिता पूर्ण अध्यापन और अधिगम को सुकर बनाया जा सके।

3.2 पात्रता

(क) कार्यक्रम में प्रवेश के लिए स्नातक डिग्री या/अथवा विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी, में कम से कम 50 प्रतिशत अंक पाने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त इंजिनीयरी, जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, में 55% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी अथवा इनके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

(ख) अनुसूचित जाति/जनजाति/ओ.बी.सी./पी.डब्ल्यू.डी और अन्य वर्गो के लिए स्थान आरक्षण तथा अंकों में छूट केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों (जो भी लागू हो), के नियमों के अनुसार होगी।

3.4 शुल्क

कोई संस्थान समय–समय पर यथा संशोधित राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (गैर–सहायता प्राप्त अध्यापक शिक्षण संस्थाओं द्वारा प्राचार्य शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्कों के विनियमन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार संबंधन प्रदान करने वाले संस्थान/संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित फीस ही लेगा और छात्रों से किसी भी प्रकार का दान, प्रति व्यक्ति शुल्क नही लेगा।

4. पाठ्यचर्या, कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मूल्यांकन

4.1 पाठ्यचर्या

बी.एड. की पाठ्यचर्या का अभिकल्पन इस प्रकार होगा जिसमें विषय के ज्ञान, मानव विकास, शिक्षा–शास्त्रीय ज्ञान तथा संप्रेषण कौशलों का संघटन हो। इस कार्यक्रम में तीन मुख्य पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्र सम्मिलित होंगे ये क्षेत्र हैं शिक्षा के परिप्रेक्ष्य, पाठ्यचर्यात्मक तथा शिक्षा–शास्त्रीय अध्ययन, तथा क्षेत्र के साथ विनियोजन

इन पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले पाठ्यक्रम मूल लेखों के सघन अध्ययन, संगोष्ठी/सत्र लेख प्रस्तुतीकरण, तथा क्षेत्र के साथ सतत् विनियोजन पर आधारित होंगे। पाठ्यक्रमों के कार्य संपादन में विभिन्न दृष्टिकोण का उपयोग किया जाएगा जैसेः मामला अध्ययन, विमर्शात्मक जर्नलों, बच्चों के प्रक्षणों, तथा विविध सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेशों के समुदाय के साथ अन्योन्यक्रिया पर चर्चा सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी), लिंग, तथा योग शिक्षा एवं निःशक्तता/समावेशो शिक्षा बी.एड. पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग होगी।

(1) सैद्धांतिक पाठ्यक्रम

(क) शिक्षा के परिप्रेक्ष्य

शिक्षा के परिप्रेक्ष्यों के अन्तर्गत बाल्यावस्था अध्ययन, बाल विकास, तथा किशोरावस्था, समकालीन भारत व शिक्षा शिक्षा में दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, ज्ञान के सैद्धांतिक आधार तथा पाठ्यचर्या, अध्यापन और अधिगम, विद्यालय तथा समाज के संदर्भ में लिंग तथा समावेशी शिक्षा पाठ्यक्रम सम्मिलित हैं। बाल्यावस्था अध्ययन संबंधी पाठ्यक्रम छात्र–अध्यापक को भारतीय समाज और शिक्षा के साथ जोड़ने में समाजशास्त्रीय विश्लेषण के अवधारणात्मक साधनों और विविध समुदायों, बच्चों और विद्यालयों के साथ जुड़ने के प्रायोगिक अनुभवों की प्राप्ति में सक्षम बनाएगा। समकालीन भारत तथा शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम विविधता संबंधी मुद्दों, भारतीय समाज में असमानता तथा उपान्तिकीकरण और इनके शैक्षिक निहितार्थ तथा इनके साथ भारतीय शिक्षा में सार्थक नीतिगत विचार संबंधी विश्लेषणों के विषय में संप्रत्यात्मक समझ का विकास करेगा। ज्ञान और पाठ्यचर्या पर पाठ्यक्रम ऐतिहासिक, दार्शनिक तथा समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्यों की दृष्टि से विद्यालयी ज्ञान के सैद्धांतिक

आधारों पर प्रकाश डालेगा और इनके साथ–साथ पाठ्यचर्यात्मक उद्देश्यों और संदर्भ तथा पाठ्यचर्या, नीति और अधिगम में मध्य संबंध के विवेचनात्मक विश्लेषण को भी संबोधित करेगा। अध्यापन और अधिगम का पाठ्यक्रम सामाजिक तथा सांवेगिक विकास, आत्म तथा आत्म–परिचय, और संज्ञान तथा अधिगम के पक्षों पर बल देगा।

(ख) पाठ्यचर्या तथा शिक्षणशास्त्रीय अध्ययन

पाठ्यचर्या तथा शिक्षा शास्त्रीय अध्ययनों के पाठ्यक्रम में भाषा संबंधी पक्ष सम्मिलित होंगे जो पाठ्यचर्या तथा संप्रेषण, विषय की समझ, विद्यालयी विषय का सामाजिक इतिहास तथा इसके शिक्षा शास्त्रीय आधारों पर लागू होगा और जिनका बल अध्येता पर होगा। इसके अतिरिक्त इसमें अधिगम के लिए मूल्यांकन के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य भी सम्मिलित होंगे।

पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत किसी विशेष अनुशासन के स्वरूप का अध्ययन, विद्यालयी पाठ्यचर्या का विवेचित ज्ञान; विद्यालयी पाठ्यचर्या की विवेचनात्मक समझ; अध्येता, अनुशासन और अधिगम का समाजीय संदर्भ, तथा छोटे बच्चों के अधिगम के विभिन्न पक्ष सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम का परिरूप ऐसा होगा कि विद्यार्थी विद्यालय के एक या दो स्तरों पर किसी एक अनुशासनात्मक क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर सके, जैसे, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित, भाषाएं और उसी अनुशासन से एक विषय क्षेत्र/पाठ्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में पाठ्यचर्या की समझ, विद्यालयी ज्ञान की समुदायिक जीवन से संबद्धता का विकास करना है। उपयुक्त शिक्षा–शास्त्रीय प्रक्रियाओं और बच्चों के साथ सार्थक रूप से संप्रेषण के माध्यम से विषय के ज्ञान से अवधारणाओं की पुर्नरचना करने के लिए विभिन्न प्रकार की अन्वेषी परियोजनाए सम्मिलित की जाएंगी।

(ii) क्षेत्र/प्रायोगिक क्रियाकलाप के साथ संबंध

बी.एड. कार्यक्रम स्वयं के साथ, बच्चे, समुदाय, और विभिन्न स्तरों पर विद्यालय के साथ एक दीर्घ कालीन व अखंड संबंध स्थापित करेगा, यह कार्य विभिन्न पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्रों में निकट संबंध स्थापित करके किया जाएगा। यह पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्र (अर्थात क्षेत्र व प्रयोगात्मक क्रियाकलाप) उपर्युक्त दो मुख्य पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्र के मध्य एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करेगा जो इसके तीन घटकों के माध्यम से संपादित होगा। ये घटक हैं :

- ऐसे कार्य और प्रदत्त कार्य असाइनमैंट जो सभी पाठ्यक्रमों में सम्मिलित हो।
- स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण (इन्टर्नशिप)
- व्यावसायिक क्षमताओं को संवर्धित करने वाले पाठ्यक्रम

"शिक्षा के परिप्रेक्ष्य" तथा "पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय अध्ययन" के पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्र समुदाय, विद्यालय, तथा विद्यालयी बच्चों और विद्यालय से विरत बच्चों का विभिन्न कार्यों और परियोजनाओं के माध्यम से क्षेत्र के साथ संबंध स्थापित कर देंगे। ये कार्य और परियोजनाएं क्षेत्र आधारित अनुभवों के साथ एक अध्यापक–शिक्षा की कक्षा में विवेचित परिप्रेक्ष्यों और सैद्धांतिक ढाचों को प्रमाणित करने में सहायता करेंगी। इन कार्यो और परियोजनाओं में सतत् और व्यापक मूल्यांकन संबंधी पद्धतियों का विकास करने, सेवारत विद्यालयी अध्यापकों का व्यावसायिक विकास करने, अथवा विद्यालय प्रबंधन समिति इत्यादि के साथ संवाद करने के लिए सहयोगात्मक सहभागित्व सम्मिलित है। समुदाय आधारित परियुक्ति के अन्तर्गत समकालीन भारत और शिक्षा या सामाजिक विज्ञान/इतिहास के शिक्षा–शास्त्र के एक अंश के रूप में शिल्पकारों के साथ समुदाय उनके मौखिक इतिहास संबंधी परियोजनाएं आ सकती हैं। इसी प्रकार विज्ञान के शिक्षा–शास्त्रीय पाठ्यक्रम में ऐसी वातावरण आधारित परियोजनाएं आ सकती हैं जो एक विशेष गांव या समुदाय के सरोकारों या चिन्ताओं की और ध्यान देती हों।

छात्र–अध्यापकों की व्यावसायिक क्षमताओं को सवंर्धित करने के लिए अनेक विशिष्ट पाठ्यक्रम प्रस्तावित किए जा सकते हैं जैसे, भाषा और संप्रेषण संबंधी पाठ्यक्रम, नाटक तथा कला आत्म–विकास और आईसीटी। एक महत्त्वपूर्ण पाठ्यचर्यात्मक संसाधन के रूप में आईसीटी की विवेचित समझ पर एक पाठ्यक्रम प्रस्तावित किया जा सकता है, जो एक अध्यापक की भूमिका को प्रमुखता प्रदान करेगा, डिजिटल संसाधनों के लोक स्वामित्व को सुनिश्चित करेगा और रचनावादी उपागमों को प्रोत्साहित करेगा जो मात्र आईसीटी की अभिगम्यता की बजाए प्रत्याशा तथा सहरचना को विशेषाधिकार प्रदान करेगा। ऐसे पाठ्यक्रमों का अभिकल्पन भी किया जाएगा जिन का बल एक अध्यापक के संवृत्तिक तथा आत्म–विकास पर हो और जिनमें सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक घटकों का समावेश हो तथा जिनका कार्य संपादन ऐसी संकेन्द्रित कार्यशालाओं के माध्यम से किया जाए जिनमें कला, संगीत और नाटक संबंधी घटक सम्मिलित हो।

ये पाठ्यक्रम ऐसे अवसर प्रदान करेंगे जिनसे आत्म पहचान, अन्तरवैयक्तिक संबंध, बच्चे और प्रौढ़ के मध्य अन्तरवैयक्तिक तथा सामाजिक संरचनाएं विद्यालय संघर्ष और सामाजिक परिवर्तन के स्थल के रूप में योग शिक्षा को समझना और अभ्यास करना, सामाजिक संवेदनशीलता का विकास करना, सुनने और महत्त्व देने की क्षमता का विकास करना संबंधी मुद्दों पर अध्ययन सम्मिलित होगा।

(iii) स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण इन्टर्नशिप

स्कूल स्थानबद्ध प्रशिक्षण इंटर्नशिप का संबंध "क्षेत्र के साथ परियुक्ति नामक मुख्य पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्र के अंश के रूप में है और इस का अभिकल्पन परिप्रेक्ष्यों, व्यावसायिक क्षमता, अध्यापक प्रभावनीयताओं और कौशलों में एक व्यापक संग्रह के विकास की ओर अग्रसर करेगा। बी.एड. की पाठ्यचर्या अध्येताओं और विद्यालय जिसमें अधिगम

का सतत् और व्यापक मूल्यांकन भी सम्मिलित है, के साथ एक दीर्घीकृत व अविच्छिन्न परियुक्ति प्रदान करेगी जिससे वर्ष भर आस पड़ोस के विद्यालयों के साथ सहक्रिया संभव होगी। ये क्रियाकलाप प्रथम वर्ष 4 (चार) सप्ताहों में आयोजित किए जाएंगे।

पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के छात्रों को सक्रिय रूप से शिक्षण में प्रवृत्त किया जाएगा। उन्हें दो स्तरों पर प्रवृत्त किया जाएगा। अर्थात उच्च प्राथमिक कक्षा (कक्षा VI-VIII) तथा माध्यमिक (कक्षा IX-X) अथवा उच्च माध्यमिक (कक्षा XI-XII) जिसमें कम से कम 16 सप्ताह माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए होगें। जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस दो वर्षीय कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालयों में इंटर्नशिप कम से कम 20 सप्ताह की होगी (4 सप्ताह प्रथम वर्ष में और 16 सप्ताह, द्वितीय वर्ष में)। इसमें शिक्षण अभ्यास के अतिरिक्त एक सप्ताह की प्रारंभिक प्रावस्था होगी जिस अवधि में छात्राध्यापक सामान्य कक्षा के नियमित अध्यापक के अध्यापन का प्रेक्षण करेंगे। इसके अतिरिक्त अभ्यास पाठों का समकक्ष प्रेक्षण भी सम्मिलित होगा।

4.2 कार्यक्रम कार्यान्वयन

इस व्यावसायिक अध्ययन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक संस्था को निम्नलिखित अपेक्षाओं/स्थानबद्ध प्रशिक्षण को पूरा करना होगा।

(क) स्थानबद्ध प्रशिक्षण इंटर्नशिप समेत सभी क्रियाकलाप का एक कैलेंडर तैयार करें। विद्यालयी तथा अन्य विद्यालय संपर्क कार्यक्रमों को विद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर के साथ समक्रमिक किया जाएगा।

(ख) स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए तथा कार्यक्रम के अन्य विद्यालय आधारित क्रियाकलाप के लिए कम से कम दस (10) विद्यालयों की व्यवस्था करें। इस व्यवस्था के लिए जिला शिक्षा अधिकारी की स्वीकृति अनिवार्य होगी। ये विद्यालय इस कार्यक्रम की अवधि में सभी प्रायोगिक क्रियाकलाप और संबंधित कार्य के लिए मूल संपर्क बिंदु के रूप में समझे जाएंगे।

(ग) "शिक्षा के परिप्रेक्ष्यों" तथा "पाठ्यचर्या तथा शिक्षा—शास्त्रीय अध्ययन" संबंधी पाठ्यक्रमों का कार्य—संपादन करने में बहुल और बहुविध दृष्टिकोणों का उपयोग करना चाहिए, जैसे मामला अध्ययन, समस्या समाधान, विद्ववत् गोष्ठी में विमर्शक जरनलों पर चर्चा, बहुल सामाजिक सांस्कृतिक वातावरणों में बच्चों का प्रेक्षण अंतरंग छात्राध्यापक विमर्शक दैनिकी तथा प्रेक्षण रिकार्ड बनाए रखेंगे जिनसे उन्हें विमर्शी चिंतन के अवसर प्राप्त होंगे।

(घ) समय समय पर विद्यार्थियों तथा संकाय के लिए सेमिनार, वाद—विवाद, लैक्चर, तथा चर्चा समूहों का आयोजन कर शिक्षा में चर्चा का प्रारंभ करें।

(ड.) मूल अनुशासनों के संकाय के साथ अन्योन्यक्रिया समेत शैक्षिक संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन करें और संकाय सदस्यों को शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लेने और विशेषकर विद्यालयों में शोध कार्य करने के लिए प्रोत्सहित करें। विश्वविद्यालयों और विद्यालयों में शोध/अध्यापन कार्य आरंभ करने संबंधी प्रावधान बनाए जाएंगे।

(च) अध्यापक—शिक्षा संस्थाओं में छात्राध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने और विस्तार अतिथि लेक्चरार के तथा विद्वत सम्मेलन आयोजित करने हेतु विद्यालयी अध्यापको को आमंत्रित किया जाएगा।

(छ) विद्यार्थियों व अध्यापक वर्ग की शिकायतों की ओर ध्यान देने तथा उनका समाधान करने के लिए एक तंत्र तथा प्रावधान किए जाएंगे।

(ज) विद्यालय स्थानबद्ध प्रशिक्षण के लिए अध्यापक शिक्षा संस्थानों तथा संबद्ध विद्यालयों द्वारा छात्र—अध्यापकों को परामर्श देने, उनका पर्यवेक्षण करने, उन पर दृष्टि रखने और उनका आकलन करने के लिए एक परस्पर सम्मत प्रक्रिया स्थापित की जाएगी।

4.3 मूल्यांकन

"शिक्षा के परिप्रेक्ष्य" तथा "पाठ्यचर्या और शिक्षण—शास्त्रीय अध्ययन" के लिए कम से कम 20% से 30% तक अंक सतत् आन्तरिक मूल्यांकन के लिए निर्धारित किए जाने चाहिए तथा 70% से 80% तक अंक बाह्य परीक्षा के लिए कुल अकों या भारिता का एक चौथाई भाग शिक्षण अभ्यास के लिए निर्धारित किया जाएगा। आन्तरिक और बाह्य परीक्षाओं की भारिता संबद्धकारी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी। "क्षेत्र के साथ परियुक्ति" के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर विद्यार्थियों का आन्तरिक मूल्यांकन किया जाना चाहिए, न केवल उस परियोजना/क्षेत्र कार्य पर जो उन्हें उन की इकाइयों के अध्ययन के एक भाग के रूप में दिया गया हैं। मूल्यांकन और उसके लिए प्रयुक्त निकष विद्यार्थियों के लिए पारदर्शी होने चाहिए ताकि व्यावसायिक प्रतिपुष्टि से वे अधिकतम रूप में लाभान्वित हो सकें। व्यावसायिक प्रतिपुष्टि के एक अंश के रूप में विद्यार्थियों को उनके अकों या ग्रेडों की सूचना दी जाती रहेगी ताकि उन्हें अपने निष्पादन में सुधार लाने का अवसर मिलता रहे। आन्तरिक मूल्यांकन के आधारों में व्यक्तिगत अथवा समूह प्रदत्त कार्य, प्रेक्षण रिकार्ड, डायरियां, दैनिकी इत्यादि सम्मिलित हो सकती हैं।

5. स्टाफ

5.1 **शैक्षणिक संकाय**

50—50 विद्यार्थियों की दो मूल इकाइयों की भर्ती के लिए, कुल 16 पूर्ण कालिक संकाय सदस्य होंगे। विभिन्न पाठ्यचर्यात्मक क्षत्रों के लिए संकाय का बंटन निम्नलिखित प्रकार से होगाः

1	प्रिंसीपल / विभागाध्यक्ष	एक
2	शिक्षा के परिप्रेक्ष्य	चार
3	शिक्षण विषय (गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा भाषा)	आठ
4	स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा	एक
5	ललित कलाएं	एक
6	निष्पादन कलाएं (संगीत / नृत्य / रंगमंच)	एक

नोट (i) विभिन्न विषय वर्गों के अन्तर्गत सूचीबद्ध अध्यापक वर्ग अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम में निर्धारित पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्रों में से किसी भी अन्य पाठ्यक्रम को पढ़ा सकता है और इस प्रकार आधारित व शिक्षण शास्त्रीय पाठ्यक्रमों दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों में अपना योगदान दे सकता हैं यदि दो वर्षों के लिए विद्यार्थियों की संख्या 100 है (अर्थात एक मूल इकाई), तो

(ii) अध्यापक वर्ग का उपयोग एक लचीले ढंग से किया जा सकता है ताकि उपलब्ध शैक्षणिक विशेषज्ञता का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

5.2 **अर्हताएं**

संकाय की अर्हताएं निम्नलिखित रूप में होंगी।

ए. प्रिसिंपल / विभागाध्यक्ष

(i) कला / विज्ञान / सामाजिक विज्ञान / मानविकी / वाणिज्य में कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री, (ii) एम.एड., कम से कम 55% अंकों के साथ

(iii) शिक्षा में अथवा किसी शिक्षा शास्त्रीय विषय में जो उस संस्था में पढ़ाया जाता है, पी.एच.डी.

(iv) किसी भी अध्यापक शिक्षा संस्था में न्यूनतम 8 वर्ष का अध्यापन अनुभव

वांछनीय : शैक्षिक प्रशासन या शैक्षिक नेतृत्व में डिग्री / डिप्लोमा

बी शिक्षा के प्ररिप्रेक्ष्य या आधारिक पाठ्यक्रम

(i) सामाजिक विज्ञान से संबंधी किसी विषय में स्थानकोत्तर डिग्री जिस में कम से कम 55% अंक होने चाहिए तथा

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एड. डिग्री जिसमें कम से कम 55% अंक हों

(ग) पाठ्यचर्या तथा शिक्षण–शास्त्रीय पाठ्यक्रम

(i) विज्ञान / गाणित / सामाजिक विज्ञान / भाषाओं में से किसी एक कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री

(ii) 55% अंकों के साथ एम.एड. डिग्री

वांछनीय : विषय विशेज्ञता के साथ शिक्षा में पी.एच.डी. डिग्री

नोट : उपर्युक्त ख और ग को एक साथ मिला कर, दो संकाय पदो ंके लिए समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, या दर्शनशास्त्र में कम से कम 55% अंकों के साथ एक स्नातकोत्तर डिग्री तथा किसी माध्यमिक विद्यालय में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव विचारणीय होगा।

(घ) **विशेष अध्ययन पाठ्यक्रम**

शारीरिक शिक्षा

(i) शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री (एमपीएड) जिसमें कम से कम 55% अंकों हों (योग शिक्षा में प्रशिक्षण / अर्हता वांछनीय समझी जाएगी)

दृश्य कलाएं

(i) ललित कलाओं में 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री (एमएफए)

निष्पादन कलाएं

55% अंकों के साथ संगीत, नृत्य या रंगमंच में स्नातकोत्तर डिग्री

5.3 **प्रशासनिक तथा व्यावसायिक स्टाफ**

(क)	पुस्तकालय दृश्य (बी.लिब के साथ–55% अंक)	एक
(ख)	प्रयोगशाला सहायक (55% अंकों सहित बी.सी.ए)	एक
(ग)	कार्यालय एंव लेखा सहायक	एक
(घ)	कार्यालय सहायक एंव कम्प्यूटर प्रचालक	एक
(ड़)	स्टोर कीपर	एक
(च)	तकनीकी सहायक	एक
(छ)	प्रयोगशाला अटैंडैट/हैल्पर/सहयोगी स्टाफ	दो

अर्हताए : जैसाकि संबंधित राज्य सरकार/यूटी प्रबंधन द्वारा निर्धारित

नोट : किसी संयुक्त संस्था में, प्रिंसिपल तथा प्रशासनिक तथा तकनीकी स्टाफ साझा हो सकता है। ऐसी अवस्था में एक प्रिंसीपल होगा और विभाग प्रभारियों को विभागाध्यक्ष कहा जाएगा।

5.4 सेवा की शर्तें और उपबंध

अध्यापन और गैर–अध्यापन स्टाफ की सेवा की शर्तें और उपबंध जिनमें चयन की प्रक्रिया वेतनमान, सेवानिवृत्ति की आयु और अन्य लाभ भी शामिल है, राज्य सरकार/संबंद्धक निकाय की नीति के अनुसार होगी।

6 सुविधाएं

6.1 आधारिक सुविधाएं

(i) प्रारंभिक 50 विद्यार्थियों की भर्ती के लिए संस्था के पास उसकी अपनी कम से कम 2500 वर्ग मीटर (दो हजार पांच सौ) भूमि होनी चाहिए जो भली भांति सीमांकित हो, और जिसमें से 1500 वर्ग मीटर (एक हजार पांच सौ वर्ग मीटर) निर्मित क्षेत्र हो तथा शेष भूमि लॉन, खेल के मैदान इत्यादि के लिए हो। अतिरिक्त पचास विद्यार्थियों की भर्ती के लिए संस्थान के पास 500 वर्ग मीटर भूमि और होनी चाहिए। दो सौ से अधिक और तीन सौ विद्यार्थियों की वार्षिक भर्ती के लिए संस्थान के पास अपनी 3500 वर्ग मीटर (तीन हजार पांच सो वर्ग मीटर) भूमि होनी चाहिए। इस अधिनियम की स्थापना से पूर्व स्थापित संस्थाओं के पास एक सौ विद्यार्थियों की अतिरिक्त भर्ती के लिए निर्मित क्षेत्र 500 वर्गमीटर अधिक बढ़ा दिया जाना चाहिए। इन संस्थाओं के लिए अतिरिक्त भूमि की शर्त लागू नहीं होगी।

(ii) बी.एड. के साथ अन्य अध्यापक शिक्षा काग्रक्रमों को चलाने के लिए निर्मित क्षेत्र निम्नलिखित प्रकार से होगा

पाठ्यक्रम	निर्मित क्षेत्र (वर्ग मीटर में)	भूमि क्षेत्र (वर्ग मीटर में)
बी.ए. बी.एड./बी.एस.सी. बी.एड. जिसमें बी.एड. शिक्षा घटक हो	1500	2500
डी.ई.सी.एड+बी.एड	2500	3000
डी.एल.एड.+बी.एड.	3000	3000
बी.एड+एम.एड.	2000	3000
डी.ई.सी.एड+बी.एड.+एम.एड.	3000	3500
डी.एल.एड.+बी.एड.+एम.एड.	3500	3500
डी.ई.एड+डी.ई.सी.एड+बी.एड.+एम.एड	4000	4000

नोट 1 बी.एड. की एक इकाई की अतिरिक्त भर्ती के लिए अतिरिक्त निर्मित क्षेत्र 500 (पांच सौ वर्ग मीटर) वर्ग मीटर होगा

(iii) संस्था के पास निम्नलिखित आधारिक सुविधाएं अवश्य होनी चाहिए (प्रत्येक मद पी डब्ल्यू डी के लिए सुकरीकृत हो)

(क) प्रत्येक 50 विद्यार्थियों के लिए एक कक्षा कक्ष

(ख) एक बहु प्रयोजन हॉल जिसमें दो सौ विद्यार्थियों के बैठने की क्षमता और एक डायस भी हो (2000 वर्ग फुट)

(ग) पुस्तकालय+वाचनालय कक्ष

(घ) सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी (आइसीटी) संसाधन केंद्र

(ड़) पाठ्यचर्या प्रयोगशाला

(च) कला और शिल्प संसाधन केंद्र

(छ) स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा संसाधन केंद्र (योग शिक्षा समेत)

(ज) प्रिंसीपल कार्यालय

(झ) स्टाफ कक्ष

(ञ) प्रशासनिक कार्यालय

(ट) आगंतुक कक्ष

(ठ) पुरूष और महिला विद्यार्थियों के अलग अलग कॉमन कक्ष

(ड) सेमिनार कक्ष

(ढ) कैंटीन

(ण) पुरूष और महिलाओं विद्यार्थियो के लिए, स्टाफ, तथा पीडब्लूडी के लिए अलग अलग प्रसाधन सुविधाएं

(त) पार्किंग स्थल

(थ) स्टोर कक्ष (दो)

(द) बहु–प्रयोजन क्रीड़ा स्थल

(ध) अतिरिक्त आवास के लिए खुली जगह

(iv) संस्था में खेल के मैदान के साथ साथ खेलने संबंधी सुविधाएं होंगी। जहाँ पर स्थानाभाव है : (जैसे किसी महानगर में/पहाड़ी क्षेत्रों में) योग के लिए, स्मार्ट कोर्ट तथा इन्डोर खेलों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए।

(v) भवन के सभी भागों में अग्नि आपद के लिए सुरक्षा प्रबंध होने चाहिए

(vi) संस्था के परिसर, भवन, फर्नीचर इत्यादि बाधा रहित होने चाहिए

(vii) पुरूष और महिलाओं के लिए अलग अलग छात्रवास सुविधाएं तथा कुछ आवासीय निवास स्थान वांछनीय होंगे

6.2 अनुदेशात्मक

(क) संस्था में प्रशिक्षणार्थियों के क्षेत्र–कार्य तथा शिक्षण अभ्यास संबंधी क्रियाकलाप के लिए समुचित दूरी के भीतर पर्याप्त संख्या में मान्यता प्राप्त माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुलभ होने चाहिए। संस्थान उन विद्यालयों से इस आशय का लिखित आश्वासन प्रस्तुत करेगा कि वे शिक्षण–अभ्यास के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए तैयार है। राज्य का शिक्षा निदेशालय विभिन्न अध्यापक शिक्षा संस्थानों के लिए विद्यालय निर्धारित करेगा जिस विद्यालय की विद्यार्थी संख्या 1000 तक होगी उसके साथ 10 से अधिक छात्राध्यापक तथा जिसकी विद्यार्थी संख्या 2000 तक होगी उसके साथ 20 से अधिक छात्राध्यापक नहीं लगाए जाएंगे। यह अपेक्षित होगा यदि किसी संस्थान के साथ एक उसका अपना संबंद्ध विद्यालय भी हो।

(ख) कम से कम पचास प्रतिशत विद्यार्थियों के बैठने की सुविधा सहित एक ऐसा पुस्तकालय एवं वाचनालय होगा जिसमें अध्ययन के पाठ्यक्रम के लिए एक हजार पुस्तक–शीर्षक हों और ऐसी शीर्षकों की 3000 पुस्तकें हो। इनमें पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकें, शैक्षिक विश्वकोष, शब्दकोष, इलैक्ट्रानिक प्रकाशन (सी.डी.रोम), ऑन लाइन संसाधन, तथा कम से कम शिक्षा पर पांच रैफ्रीड जर्नल तथा संबद्ध विषयों पर पांच अन्य पत्रिकाएं मंगाई जाएंगी। पुस्तकालय के संग्रह में प्रतिवर्ष 200 शीर्षक जोड़े जाएंगे जिसमें पुस्तकें और पत्रिकाएं दोनों सम्मिलित हैं। पुस्तकालय के अन्दर फोटोकॉपी करने की सुविधा होगी तथा इंटरनैट युक्त कंप्यूटर होगा ताकि संकाय तथा विद्यार्थी दोनों इसका प्रयोग कर सकें। पाठ्य पुस्तकों तथा संदर्भ ग्रंथों के अतिरिक्त प्रत्येक शीर्षक की तीन से अधिक प्रतियां नही होंगी।

(ग) एक पाठ्यचर्या प्रयोगशाला होगी जिसमें विद्यालयी पाठ्यचर्या के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सामग्री और अन्य संसाधन होंगे।

(घ) सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी सुविधाएं होंगी जिसमें कंप्यूटर, टीवी, कैमरा, आइसीटी उपकरण जैसे आर ओ टी, (रिसीव ऑनली टर्मिनल), एसआईटी (सैटेलाइट इन्टरलिंकिंग टर्मिनल) इत्यदि सम्मिलित होंगे।

(ड़) कला और कार्यानुभव के लिए एक पूर्णरूप से सुसज्जित अध्यापन–अधिगम संसाधन केंद्र होगा।

(च) भीतरी और बाह्य खेलों के लिए खेल और क्रीड़ा उपकरण उपलब्ध होने चाहिए।

(छ) सामान्य संगीत उपकरण जैसे हार्मोनियम, तबला, मंजीरा तथा अन्य देशी उपकरण होंगे।

6.3 अन्य सुविधाएं

(क) शैक्षणिक और अन्य कार्यों के लिए समुचित मात्रा में कार्यात्मक तथा उपयुक्त फर्नीचर

(ख) वाहनों के पार्किंग की व्यवस्था

(ग) संस्थान के अन्दर सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था

(घ) परिसर जल तथा जन–सुविधाओं की नियमित सफाई, फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों की मरम्मत तथा बदलाई

नोट : संयुक्त समेकित संस्थाओं के लिए आधारिक, शैक्षणिक तथा अन्य सुविधाएं सभी कार्यक्रमों के सांझी होंगी।

7. प्रबंधन समिति

संबंधन कारी विश्वविद्यालय/राज्य सरकार के नियमानुसार गठित प्रत्येक संस्था की एक प्रबंधन समिति होगी। यदि इस प्रकार के कोई नियम नहीं है तो संस्था प्रबंधन समिति का गठन अपने आप करेगी। इस समिति में संबंधित सोसाइटी/ट्रस्ट के प्रतिनिधि, कुछ शिक्षाविद् अध्यापक—शिक्षक, संबंधन विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि, तथा अध्यापक वर्ग के प्रतिनिधि समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करेंगे।

परिशिष्ट—5

शिक्षा में मास्टर(एम.एड) डिग्री प्राप्त कराने वाले शिक्षा में मास्टर कार्यक्रम के लिए मानदंड और मानक

1. प्रस्तावना

शिक्षा (एम.एड) कार्यक्रम शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में द्विवर्षीय व्यावसायिक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य शिक्षक प्रशिक्षकों और अन्य शिक्षा—व्यवसायियों को तैयार करना है जिसमें पाठ्यचर्या निर्माता, शिक्षा—नीति विश्लेषक, योजनाकार, प्रशासक, पर्यवेक्षक, विद्यालय—प्राचार्य और शोधार्थी आते हैं। कार्यक्रम के समापन पर प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा VIII तक) या माध्यमिक शिक्षा (कक्षा VI से XII) में विशेषज्ञता के साथ शिक्षा एम.एड की उपाधि प्रदान की जाएगी।

2. आवेदन के लिए पात्र संस्थाएं

(i) न्यूनतम पांच शैक्षणिक वर्षों के लिए शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाले ऐसे संस्थान जो किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हो और **नैक** या किसी **राअशिप** द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य प्रत्यायन अभिकरण से प्रत्यायन के लिए आवेदन किया हो।

(ii) विश्वविद्यालयों के शिक्षा—विभाग

3. अवधि एवं कार्य दिवस

3.1 अवधि

शिक्षा एम.एड कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 4 सप्ताह के क्षेत्रीय कार्य तथा लघु शोध पत्र समेत दो शैक्षणिक वर्षों की होगी। विद्यार्थियों को इस द्विवर्षीय कार्यक्रम को पूरा करने के लिए कार्यक्रम में दाखिले की तारीख से अधिकतम तीन वर्ष के भीतर पूरा कर लेने की अनुमति होगी। क्षेत्रीय कार्य/प्रायोगिक परीक्षा/अन्य गतिविधियां ग्रीष्म ऋतु में करायी जानी चाहिए।

3.2 कार्य—दिवस

प्रवेश की अवधि को छोड़कर तथा कक्षा संचालन प्रायोगिक कार्य परीक्षा, क्षेत्रीय अध्ययन एवं परीक्षा के आयोजन समेत प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो सौ कार्यदिवस होंगे। संस्थान सप्ताह (पाँच या छः दिन) में न्यूनतम 36 घंटे कार्य करेगा। इस दौरान कार्यक्रम से सम्बद्ध अध्यापक एवं विद्यार्थी अंतःक्रिया, संवाद, परामर्श एवं मार्ग दर्शन के लिए विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध होंगे।

सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम और प्रायोगिक कार्य के लिए 80% तथा क्षेत्रीय कार्य के लिए 90% न्यूनतम उपस्थिति होगी।

4. दाखिला क्षमता, पात्रता, प्रवेश प्रक्रिया और फीस

4.1 प्रवेश

इस कार्यक्रम की मूल इकाई में 50 विद्यार्थी होंगे। प्रत्येक संस्थान को केवल एक इकाई रखने की अनुमति होगी। अतिरिक्त इकाई की अनुमति केवल बुनियादी सुविधाओं, अध्यापकों तथा अन्य संसाधनों की गुणवत्ता के आधार पर दी जाएगी। साथ ही संस्थान ने तीन वर्षों तक यह कार्यक्रम चलाया हो और उसे **नैक** अथवा **राअशिप** द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्यायन अभिकरण द्वारा न्यूनतम बी+ ग्रेड दिया गया हो।

4.1 पात्रता

(ए) बी.एड. कार्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित कार्यक्रमों में कम से कम 50 प्रतिशत अंक या समकक्ष ग्रेड होने चाहिए—

(i) बी.एड

(ii) बी.ए.बी.एड, बी.एससी.बी.एड

(iii) बी.एल.एड

(iv) अवर स्नातक उपाधि के साथ डी.एल.एड. (प्रत्येक में 50 प्रतिशत अंक)

(बी) अजा/अजजा/अपिव/विकलांग तथा अन्य उपयुक्त श्रेणियों के लिए आरक्षण एवं छूट केन्द्र सरकार/राज्य सरकार, जो भी प्रयोज्य हो, के नियमों के अनुसार दी जाएगी।

4.3 प्रवेश प्रक्रिया

कार्यक्रम में प्रवेश अर्हर परीक्षा और प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अथवा राज्य सरकार/विश्वविद्यालय/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासन की नीतियों के अनुसार किसी अन्य चयन प्रक्रिया द्वारा दिया जाएगा।

(13) The institution shall maintain records, registers or other documents, which are essential for running an educational institution especially those prescribed under the relevant rules or regulation and norms and standards and guidelines or instructions of the Central or State or Union territory administrations, affiliating or examining bodies.

(14) The institution shall adhere to the mandatory disclosure in the prescribed format and display up-to-date information on its official website.

9. **Norms and standards.—**Every institution offering the following programmes shown in the Table shall have to comply with the norms and standards for various teacher education programmes as specified in Appendix 1 to Appendix 15 :

Sl. No.	Norms and Standards	Appendix No.
1.	Diploma in early childhood education programme leading to Diploma in Preschool Education (DPSE)	Appendix-1
2.	Elementary teacher education programme leading to Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.).	Appendix-2
3.	Bachelor of elementary teacher education programme leading to Bachelor of Elementary Education (B.El.Ed.) degree.	Appendix-3
4.	Bachelor of education programme leading to Bachelor of Education (B.Ed.) degree.	Appendix-4
5.	Master of education programme leading to Master of Education (M.Ed.) degree.	Appendix-5
6.	Diploma in physical education programme leading to Diploma in Physical Education (D.P.Ed.).	Appendix-6
7.	Bachelor of physical education programme leading to Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) degree	Appendix-7
8.	Master of physical education programme leading to Master of Physical Education (M.P.Ed.) degree	Appendix-8
9.	Diploma in elementary education programme through Open and Distance Learning System leading to Diploma in Elementary Education (D.El.Ed.)	Appendix-9
10.	Bachelor of education programme through Open and Distance Learning System leading to Bachelor of Education (B.Ed.) degree.	Appendix-10
11.	Diploma in arts education (Visual Arts) programme leading to Diploma in Arts Education (Visual Arts)	Appendix-11
12.	Diploma in arts education (Performing Arts) programme leading to Diploma in Arts Eduction (Performing Arts)	Appendix-12
13.	4-year Integrated programme leading to B.A.B.Ed./B.Sc.B.Ed. degree.	Appendix-13
14.	Bachelor of education programme (Part Time) leading to Bachelor of Education (B.Ed) degree.	Appendix-14
15.	B.Ed. M.Ed (3 years integrated) programme leading to B.Ed. M.Ed (Integrated) degree.	Appendix-15

10. Financial Management.—(1)In the case of self-financed institutions including government or government aided institutions running a programme on self-financing basis, where the letter of intent issued under sub-regulation 13 of regulation 7,there shall be an endowment fund of five lakh rupees per programme per unit and a reserve fund of seven lakh rupees per programme per unit of approved intake, in the form of a fixed deposit in a Scheduled Bank, which shall be converted into a fixed deposit in the joint name of an authorised representative of the management and the Regional Director concerned, which shall be maintained perpetually by way of renewal at the intervals of every five years.

(2) The academic and other staff of the institution shall be paid such salary as may be prescribed by the concerned government or Board or affiliating body by account payee cheque or as per advice into the bank account of employee specially opened for the purpose. The institution shall maintain complete record of payment of salary to the employees, Employees Provident Fund, details of which may be given in the self appraisal report and which may be verified at any time by the Council or State Government or affiliating body.

(3) Every institution shall display on its official website, every financial year by the 30th day of September, the following statements of accounts duly certified by a Chartered Accountant :-

(d) The Workshop Space shall include provision in two separate spaces for the conducting of specific practicum activities such as theatre workshops, self-development workshops, craft, music and physical education workshops (including yoga education). These spaces should allow for free physical movement for a batch of 25-30 students.

6.3 Other Amenities

(a) functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.

(b) Arrangement may be made for parking of vehicles.

(c) Access to safe drinking water in the institution.

(d) Effective arrangement for regular cleaning of the campus, water and toilet facilities (separate toilet for men, women and PWD), repair and replacement of furniture and other equipment.

(**Note:** In case of composite institution, the infrastructural, instructional and other facilities shall be shared by various programmes.)

7. Managing Committee

The institution shall have a Managing Committee constituted as per norms of the affiliating University/concerned State Government. In the absence of such norms, the institution shall constitute the Managing Committee on its own. The Committee shall comprise representatives of the sponsoring society/trust / Company, Educationists and Teacher Educators, representatives of the affiliating university and of the faculty.

APPENDIX-4

Norms and Standards for bachelor of education programme leading to the Bachelor of Education (B.Ed) Degree

1. Preamble

The Bachelor of Education programme, generally known as B.Ed., is a professional course that prepares teachers for upper primary or middle level (classes VI-VIII), secondary level (classes IX-X) and senior secondary level (classes XI-XII). The programme shall be offered in composite institutions as defined in clause (b) of regulations 2.

2. Duration and Working Days

2.1 Duration

The B.Ed. programme shall be of a duration of two academic years, which can be completed in a maximum of three years from the date of admission to the programme.

2.2 Working Days

(a) There shall be at least two hundred working days each year exclusive of the period of examination and admission.

(b) The institution shall work for a minimum of thirty six hours in a week (five or six days), during which physical presence in the institution of all the teachers and student teachers is necessary to ensure their availability for advice, guidance, dialogue and consultation as and when needed.

(c) The minimum attendance of student-teachers shall have to be 80% for all course work and practicum, and 90% for school internship.

3. Intake, Eligibility, Admission Procedure and Fees

3.1 Intake

There shall be a basic unit of 50 students, with a maximum of two units. There shall not be more than twenty five students per teacher for a school subject for methods courses and other practical activities of the programme to facilitate participatory teaching and learning.

3.2 Eligibility

(a) Candidates with at least fifty percent marks either in the Bachelor's Degree and/or in the Master's Degree in Sciences/Social Sciences/ Humanity, Bachelor's in Engineering or Technology with specialization in Science and Mathematics with 55% marks or any other qualification equivalent thereto, are eligible for admission to the programme.

(b) The reservation and relaxation for SC/ST/OBC/PWD and other categories shall be as per the rules of the Central Government / State Government, whichever is applicable.

3.3 Admission Procedure

Admission shall be made on merit on the basis of marks obtained in the qualifying examination and/or in the entrance examination or any other selection process as per the policy of the State Government/U.T. Administration and the University.

3.4 Fees

The institution shall charge only such fee as prescribed by the affiliating body / state government concerned in accordance with provisions of National Council for Teacher Education (NCTE) (Guidelines for regulations of tuition fees and other fees chargeable by unaided teacher education institutions) Regulations, 2002, as amended from time to time and shall not charge donations, capitation fee etc from the students.

4. Curriculum, Programme Implementation and Assessment

4.1 Curriculum

The B.Ed. curriculum shall be designed to integrate the study of subject knowledge, human development, pedagogical knowledge and communication skills. The programme shall comprise three broad curricular areas: Perspectives in Education, Curriculum and Pedagogic Studies, and Engagement with the Field.

The courses under each of these curricular areas will be based on a close reading of original writings, seminar/term paper presentations and continuous engagement with the field. Transaction of the courses shall be done using a variety of approaches, such as, case studies, discussions on reflective journals, observations of children, and interactions with the community in multiple socio-cultural environments.

Information and Communication Technology (ICT), gender, yoga education, and disability/inclusive education shall form an integral part of the B.Ed. curriculum.

(i) Theory Courses

(a) Perspectives in Education

Perspectives in Education should include courses in the study of childhood, child development and adolescence, contemporary India and education, philosophical and sociological perspectives in education, theoretical foundations of knowledge and curriculum, teaching and learning, gender in the context of school and society, and inclusive education. The course in childhood studies shall enable student-teachers to engage with studies on Indian society and education, acquire conceptual tools of sociological analysis and hands-on experience of engaging with diverse communities, children and schools. The course on 'Contemporary India and Education' shall develop a conceptual understanding about issues of diversity, inequality and marginalization in Indian society and the implications for education, with analyses of significant policy debates in Indian education. The course on 'knowledge and curriculum' will address the theoretical foundations of school knowledge from historical, philosophical and sociological perspectives, with critical analysis of curricular aims and context, and the relationship between curriculum, policy and learning. The course on 'teaching and learning' will focus on aspects of social and emotional development; self and identity, and cognition and learning.

(b) Curriculum and Pedagogic Studies

Courses in Curriculum and Pedagogic Studies shall include aspects of language across the curriculum and communication, understanding of a discipline, social history of a school subject, and its pedagogical foundations, with a focus on the learner; and a course on the theoretical perspectives on assessment for learning.

Curriculum and Pedagogic Studies courses shall offer a study of the nature of a particular discipline, critical understanding of the school curriculum; pedagogy as the integration of knowledge about the learner, the discipline and the societal context of learning, and research relating to different aspects of young children's learning. The design of the programme would enable students to specialize in one disciplinary area, viz. Social Science, Science, Mathematics, Languages, and a subject area from the same discipline, at one/ two levels of school. The courses shall aim to develop in students an understanding of the curriculum, linking school knowledge with community life. A variety of investigative projects shall be included to reconstruct concepts from subject knowledge through appropriate pedagogic processes and to communicate meaningfully with children.

(ii) Engagement with the Field/Practicum

The B.Ed. programme shall provide for sustained engagement with the Self, the Child, Community and School, at different levels and through establishing close connections between different curricular areas. This curricular area would serve as an important link between the above two broad curricular areas through its three components:

(a) Tasks and Assignments that run through all the courses.

(b) School Internship.

(c) Courses on Enhancing Professional Capacities.

The curricular areas of 'Perspectives in Education' and 'Curriculum and Pedagogic Studies' shall offer field engagement through different tasks and projects with the community, the school, and the child in school and out-of-school. These tasks and projects would help in substantiating perspectives and theoretical frameworks studied in a teacher education classroom with field-based experiences. The tasks and projects may include collaborative partnership with the schools for developing CCE practices, establishing study circles/forums for professional development of in-service school teachers, or dialoguing with the School Management Committee, etc. Community-based engagement may also include oral history projects with a community of

artisans as part of 'Contemporary India and Education' or 'Pedagogy of Social Science/History'. Likewise, the pedagogy course on science may include environment-based projects to address concerns of a particular village/city or a community.

Several specialised courses shall be offered to enhance professional capacities of a student-teacher such as courses on language and communication, drama and art, self development and ICT. A course on critical understanding of ICTs shall be offered as an important curricular resource, according primacy to the role of the teacher, ensuring public ownership of digital resources, and promoting constructivist approaches that privilege anticipation and co-creation over mere access to ICTs. Courses that would focus on developing the professional and personal self of a teacher will be designed to integrate theoretical and practical components, transacted through focused workshops with specific inputs on art, music and drama. These courses shall offer opportunities to study issues of identity, interpersonal relations, adult-child gaps, personal and social constructs, schools as sites for struggle and social change; understanding and practicing yoga education, developing social sensitivity and the capacity to listen and emphasize.

(iii) School Internship

School Internship would be a part of the broad curricular area of 'Engagement with the Field' and shall be designed to lead to development of a broad repertoire of perspectives, professional capacities, teacher sensibilities and skills. The curriculum of B.Ed. shall provide for sustained engagement with learners and the school (including engaging in continuous and comprehensive assessment for learning), thereby creating a synergy with schools in the neighbourhood throughout the year. Student-teachers shall be equipped to cater to diverse needs of learners in schools. These activities shall be organized for 4 weeks in the first year of the course.

Students are to be actively engaged in teaching for 16 weeks in the final year of the course. They shall be engaged at two levels, namely, upper primary (classes VI-VIII) and secondary (IX-X), or senior secondary, with at least 16 weeks in secondary/senior secondary classes. They should be provided opportunities to teach in schools with systematic supervisory support and feedback from faculty.

Internship in schools will be for a minimum duration of 20 weeks for a two-year programme (4 weeks in the first year, and 16 weeks in the second year as noted above). This should also include, besides practice teaching, an initial phase of one week for observing a regular classroom with a regular teacher and would also include peer observations, teacher observations and faculty observations of practice lessons.

4.2 Programme Implementation

The institution shall meet the following specific demands of implementing this professional programme of study:

(a) Prepare a calendar for all activities, including school internship. The school internship and other school contact programmes shall be synchronised with the academic calendar of the school.

(b) Make an arrangement with at least ten schools for the Internship as well as other school-based activities of the programme. The arrangement shall have the approval of the district education authorities. These schools shall form basic contact point for all practicum activities and related work during the course of the programme.

(c) Transaction of the Perspectives in Education and Curriculum and Pedagogic Studies courses should be done using a multiple and variety of approaches such as case studies, problem solving, discussions on reflective journals in colloquia, observations of children in multiple socio-cultural environments. Interns shall maintain reflective journals and observation records, which provide opportunities for reflective thinking.

(d) Initiate discourse on education by periodically organising seminars, debates, lectures and discussion groups for students and faculty.

(e) Organise academic enrichment programmes including interactions with faculty from parent disciplines; and encourage faculty members to participate in academic pursuits and pursue research, especially in schools. Provisions of leave shall be made for faculty to undertake research/teaching in universities and schools.

(f) School teachers shall be invited to teacher education institutions for feed back to student-teachers and for extension/guest lectures and organising colloquium.

(g) There shall be mechanisms and provisions for addressing complaints of students and faculty, and for grievance redressal.

(h) For school internship, the TEIs and the participating schools shall set up a mutually agreed mechanism for mentoring, supervising, tracking and assessing the student teachers.

4.3 Assessment

For Perspectives in Education and Curriculum and Pedagogic Studies, at least 20% to 30% marks may be assigned for continuous internal assessment and 70% to 80% marks for external examination. One-fourth of the total marks/weightage shall be allocated to assessment of practice teaching. The weightage for internal and external assessment shall be prescribed by the affiliating university. Candidates must be internally assessed on the entire course of Engagement with the Field and not only on the project/field work given to them as part of their units of study. The basis for assessment and criteria used ought to be transparent for students to benefit maximally out of professional feedback. Students shall be given information about their grades/marks as part of professional feedback so that they get the opportunity to improve their performance. The bases of internal assessment may include individual or group assignments, observation records, student portfolio, diaries, journal etc.

5. Staff

5.1 Academic Faculty

For an intake of two basic units of 50 students each, that is total students strength of 200, there shall 16 full-time faculty members.

The distribution of faculty across different curricular areas shall be as under:

1.	Principal/ HoD	One
2.	Perspectives in Education	Four
3.	Pedagogy subjects	Eight
	(Maths, Science, Social Science, Language)	
4.	Health and Physical Education	One
5.	Fine Arts	One
6.	Performing Arts (Music/Dance/Theatre)	One

Note: (i) The faculty positions listed under different subject categories may teach course(s) in the Teacher Education Programme across curricular areas specified, and can cater to both foundation and pedagogy course(s). If the students' strength for two years is one hundred (with one basic unit) only, the number of faculty shall be reduced to 8.

(ii) Faculty can be utilised for teaching in flexible manner so as to optimize academic expertise available.

5.2 Qualifications

The faculty shall possess the following qualifications:

A. Principal/HoD

(i) Postgraduate degree in Arts/Sciences/Social Sciences/Humanities/ Commerce with minimum 55% marks; and

(ii) M.Ed. with minimum 55% marks; and

(iii) Ph.D. in Education or in any pedagogic subject offered in the institution; and

(iv) Eight years of teaching experience in a secondary Teacher Education Institution.

Desirable: Diploma/Degree in Educational Administration or Educational Leadership.

B. Perspectives in Education or Foundation Courses

(i) Postgraduate degree in Social Sciences with minimum 55% marks; and

(ii) M.Ed. degree from a recognised university with minimum 55% marks.

OR

(i) Postgraduate (MA) degree in Education with minimum 55% marks; and

(ii) B.Ed./B.El.Ed. degree with minimum 55% marks.

C. Curriculum and Pedagogic Courses

(i) Postgraduate degree in Sciences/ Mathematics/ Social Sciences/ Languages with minimum 55% marks, and

(ii) M.Ed. degree with minimum 55% marks.

Desirable : PhD degree in Education with subject specialisations.

[**Note:** In case of B and C put together, for two faculty positions, a postgradutate degree in Sociology/Psychology/ Philosophy with 55% marks, and B.Ed./BElEd with 55% marks and three years of teaching experience in a secondary school shall be considered].

D. Specialised Courses Physical Education

(i) Master of Physical Education (M.P.Ed.) with minimum 55% marks. (Training/qualification in yoga education shall be desirable)

Visual Arts

(i) Post graduate degree in Fine Arts (MFA) with minimum 55% marks.

Performing Arts

(i) Post graduate degree in Music/Dance/ Theatre Arts with minimum 55% marks.

5.3 Administrative and Professional Staff

(a)	Librarian (B.Lib with 55% marks)	One
(b)	Lab Assistant (BCA with 55% marks)	One
(c)	Office-cum-Account Assistant	One
(d)	Office Assistant-cum Computer Operator	One
(e)	Store-Keeper	One
(f)	Technical Assistant	One
(g)	Lab Attendants/Helpers/Support Staff	Two

Qualifications

As prescribed by State Government/UT Administration concerned.

Note: In a composite institution, the Principal and academic, administrative and technical staff can be shared. There shall be one Principal, and others may be termed as HoDs.

5.4 Terms and Conditions of Service

The terms and conditions of service of teaching and non-teaching staff including selection procedure, pay scales, age of superannuation and other benefits shall be as per the policy of the State Government/Affiliating body.

6. Facilities

6.1 Infrastructure

(i) The institutions shall possess 2500 sq mts (two thousand five hundred square meters) of exclusive well demarcated land for the initial intake of fifty students out of which 1500 sq mts (one thousand five hundred square meters) shall be the built up area and the remaining space for lawns, playfields, etc. For an additional intake of fifty students, it shall possess additional land of 500 sqm. (five hundred square metre). For an annual intake beyond two hundred and upto three hundred, it shall possess land of 3500 sqm. (three thousand five hundred square metre). For the institutions established prior to this Regulations, for an additional intake of one hundred students, built up area is to be increased by 500 sqm (five hundred square metre) and the requirement of additional land may not apply to them.

(ii) Built up Area for running other teacher education programmes in combination with B.Ed programme shall be as under:

(ii) Facilities

Course(s)	Built up Area (in sqm)	Land Area in (sqm)
B.Ed/Education Component of B.A. B.Ed./B.Sc.B.Ed.	1500	2500
D.E.C.Ed plus B.Ed	2500	3000
D.EI.Ed plus B.Ed	3000	3000
B.Ed plus M.Ed	2000	3000
D.E.C.Ed plus B.Ed plus M.Ed	3000	3500
D.EI.Ed plus B.Ed plus M.Ed	3500	3500
D.EI.Ed plus D.E.C.Ed plus B.Ed plus M.Ed	4000	4000

Note: Additional intake of one unit of B.Ed will require additional built up area of 500sq. m. (five hundred square meters).

The institution must have the following infrastructure (each item to include facilitation for PWD):

(a) One classroom for every 50 students

(b) Multipurpose Hall with seating capacity of 200 and a dias (2000 sq. ft)

(c) Library-cum-Reading Room

(d) ICT Resource Centre

(e) Curriculum Laboratory

(f) Art and Craft Resource Centre

(g) Health and Physical Education Resource Centre (including yoga education)

(h) Principal's Office

(i) Staff Room

(j) Administrative Office

(k) Visitor's Room

(l) Separate Common Room for male and female students

(m) Seminar Room

(n) Canteen

(o) Separate Toilet facility for male and female students, for staff, and for PWD.

(p) Parking Space

(q) Store Rooms (two)

(r) Multipurpose Playfield

(s) Open space for Additional Accommodation.

(iv) There shall be games facilities with a playground. Where there is scarcity of space as in the metropolitan towns/hilly regions, separate facilities for yoga, small court and indoor games may be provided.

(v) Safeguard against fire hazard be provided in all parts of the building.

(vi) The institution campus, buildings, furniture etc. should be barrier free.

(vii) Hostel for male and female students separately, and some residential quarters are desirable.

6.2 Instructional

(a) The Institution shall have easy access to sufficient number of recognized secondary schools within reasonable distance for field work and practice teaching related activities of the student teachers. The institution shall furnish undertaking from the schools that they are willing to provide facilities for practice teaching. The state education administration may allot schools to different TEIs. Not more than ten and twenty students-teachers shall be attached with a school having pupil strength up to 1000 (one thousand) and 2000 (two thousand) respectively. It is desirable that the institution has an attached school under its control.

(b) There shall be a library-cum-reading room with seating capacity for at least fifty percent students equipped with minimum 1000 (one thousand) titles and 3000 (three thousand) books including text and reference books relevant to the course of study, educational encyclopedias, year books, electronic publications (CD-ROMs), online resources, and minimum five refereed journals on education, and subscription to five others in related disciplines. The library holdings shall be augmented with addition of two hundred titles annually including books and journals. The library shall have photocopying facility and computer with internet facility for the use of faculty and student-teachers. Except in the case of textbooks and reference books there shall not more than there multiple copies of each title.

(c) There shall be a Curriculum Laboratory with materials and resources relating to different areas of school curriculum.

(d) There shall be ICT facilities with hardware and software including computers, internet, TV, Camera; ICT equipment like ROT (Receive Only Terminal), SIT (Satellite Interlinking Terminal) etc.

(e) There shall be a fully furnished Teaching-Learning Resource Centre for Arts and Work Experience.

(f) Games and sports equipments for common indoor and out door games should be available.

(g) Simple musical instruments such as harmonium, table, manjira and other indigenous instruments.

6.3 Other Amenities

(a) Functional and appropriate furniture in required number for instructional and other purposes.

(b) Arrangement may be made for parking of vehicles.

(c) Access to safe drinking water be provided in the institution.

(d) Effective arrangement be made for regular cleaning of campus, water and toilet facilities (separate for male and female students and teachers), repair and replacement of furniture and other equipments.

(**Note:** In case of composite institution, the infrastructural, instructional and other facilities shall be shared by various programmes.)

7. Managing Committee

The institution shall have a Managing Committee constituted as per the rules, if any of the affiliating University/concerned State Government. In the absence of such rules, the institution shall constitute the Managing Committee on its own. The Committee shall comprise representatives of the sponsoring society/trust, Educationists and Teacher Educators, representatives of the affiliating university and of the staff.

APPENDIX-5

Norms and Standards for master of education programme leading to Master of Education (M.Ed.) Degree

1. Preamble

The Master of Education (M.Ed.) Programme is a two-year professional programme in the field of Teacher Education which aims at preparing teacher educators and other education professionals including curriculum developers, educational policy analysts, planners, administrators, supervisors, school principals and researchers. The completion of the programme shall lead to M.Ed. degree with specialisation either in elementary education (upto class VIII) or in secondary education (classes VI-XII).

2. Institutions Eligible to Apply

(i) Institutions offering teacher education programmes for a minimum period of five academic years, being affiliated to a university, and having applied for accreditation from NAAC or any other accrediting agency approved by NCTE.

(ii) University Departments of Education.

3. Duration and Working Days

3.1 Duration

The M.Ed. programme shall be of a duration of two academic years including field attachment for a minimum of 4 weeks and research dissertation. Students shall be permitted to complete the programme requirements of the two-year programme within a maximum period of three years from the date of admission to the programme. The summer should be used for field attachment/practicum/other activities.

3.2 Working Days

There shall be at least two hundred working days each year, exclusive of the period of admission and inclusive of classroom transaction, practicum, field study and conduct of examination. The institution shall work for a minimum of thirty six hours in a week (five or six days) during which faculty and students concerned with the conduct of the programme shall be available for interaction, dialogue, consultation and mentoring students.

The minimum attendance of students shall be 80% for Theory Courses and Practicum, and 90% for Field Attachment.

4. Intake, Eligibility, Admission Procedure and Fees

4.1 Intake

The basic unit size for the programme shall be 50. An Institution shall be allowed only one unit. Additional unit in the programme shall be permitted only based on quality of infrastructure, faculty and other resources, after the Institution has offered the programme for three years and has been awarded minimum B+ grade by NAAC or any other accrediting agency approved by NCTE.